नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

पत्रांक....274...../ फोन न० 0612– 2504044
दिनांक...15/9/2014/ फैक्स न० 0612– 2504509
CIN NO. U40109BR2012SGC018920 ई–मेल : md.nbpdcl@gmail.com

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
प्रबंध निदेशक

सेवा में,

सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत आपूर्ति अंचल,
सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल,
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
श्री संजीव सिन्हा
बिजनेस हेड, एस्सेल पावर,
मुजफ्फरपुर वितरण फ्रेंचाईजी, मुजफ्फरपुर।

विषय :– दिनांक 16.09.2014 एवं दिनांक 18.09.2014 से 21.09.2014 तक प्रत्येक जिले में नये विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत भार वृद्धि हेतु शिविर के आयोजन के सम्बन्ध में।

महाशय,

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्णय लिया गया है कि नये विद्युत कनेक्शन देने हेतु दिनांक 16.09.2014 को केवल जिला मुख्यालय स्तर पर आवेदन लिए जायेंगे एवं दिनांक 18.09.2014 से 21.09.2014 तक सभी जिला मुख्यालय एवं प्रखण्ड मुख्यालय स्तर पर विशेष अभियान चलाये जायेंगे। साथ ही, शिविर में विद्युत भार बढ़ाने हेतु भी आवेदन प्राप्त किये जाने हैं। इस अभियान की सफलता के लिए आप अपने क्षेत्राधिन लगाये जाने वाले शिविरों की सफलता हेतु स्वयं नेतृत्व करें और इसका दैनिक पर्यवेक्षण करें। साथ ही साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से इन शिविरों में अधिक से अधिक लोगों एवं जन प्रतिनिधियों की भागीदारी हो, इसके लिए अपने अधिनस्थ पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मियों को भी निदेश दें की वे भी इन शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को शिरकत करायें। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता दिनांक 15.09.2014 तक शिविर आयोजन का रोस्टर संबंधित जिला पदाधिकारी के अनुमोदनार्थ उपस्थापित कर देंगे, जिसमें स्थान एवं समय स्पष्ट रूप से अंकित होगा।

इस शिविर की सफलता के लिए निम्नांकित निदेशों का अनुपालन किया जाना है :–

1. आवेदक से किसी प्रकार का Security Deposit, Application fee एवं Estimate cost की राशि नहीं ली जायेगी।
2. नयें विद्युत संबंध एवं लोड बढ़ाने हेतु आवेदन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना है।
3. आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के बाद पंजीयन रसीद को पावति के रुप में शुल्क शुन्य करके दिया जायेगा।
4. कनीय विद्युत अभियंता/विद्युतकर्मी द्वारा आवेदन के जाँच की जानी है एवं इसी दरम्यान आवेदक से पहचान/ पते के दस्तावेज लिये जाने हैं तथा 07 (सात) दिनों के अन्दर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के लिए उपस्थापित करना है। उनसे संतुष्ट होकर एवं देखकर कि यह पुराने बकायेदार नहीं हैं सक्षम पदाधिकारी 07 (सात) दिनों में स्वीकृति सुनिश्चित करेंगे।

5. उपभोक्ता को मीटर अधिष्ठापन (स्वीकृति के 07 दिनों के अन्दर) के समय मीटर अधिष्ठापन स्लिप की रसीद दी जायेगी। इसके लिए मुख्यालय से अलग प्रपत्र तैयार कर आपलोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. Security Deposit, Application fee एवं Estimate cost की राशि मीटर अधिष्ठापन के बाद, विपत्र में 2 किस्तों में ली जायेगी।
7. इस शिविर में आवेदन के साथ पहचान पत्र और आवासीय पता का दस्तावेज नहीं लिया जाना है।
8. इस अभियान के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों के स्वीकृति/अस्वीकृति सात दिनों के अन्दर हो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित सहायक विद्युत अभियंता की होगी।
9. शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों की छंटनी कर संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डलों/ प्रशाखाओं में अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।
10. विद्युत कार्यपालक अभियन्ता शिविर में प्राप्त आवेदनों की संख्या कोटिवार (DS-I, DS-II, NDS-I, NDS-II, LTIS-I, LTIS-II आदि) मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को उनके ई-मेल bseb.ce.commercial@gmail.com पर प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस बार विशेष अभियान का काफी सरलीकरण किया गया है, मात्र आवेदन को सही–सही भरना होगा। जिला मुख्यालय में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता एवं प्रखण्ड मुख्यालय में सहायक विद्युत अभियन्ता शिविर का आयोजन करेंगे। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैंचाईजी भी अपने क्षेत्र में शिविर लगायेंगे।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि इस कैम्प आयोजन का बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार करायें और अधिक से अधिक संख्या में विद्युत कनेक्शन देने हेतु नये आवेदन प्राप्त किये जाय, इसके लिए आप अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरित करें।

विश्वासभाजन,

15/9

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक